न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

प्र0क0 202406065200074/धारा–40/2023–24

ग्राम–कल्याणपुर, तहसील–अकलतरा

शासन .....आवेदक

//बनाम//

सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर
तहसील अकलतरा जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. ..... अनावेदिका

(आदेश दिनांक– 17/11/2024...)

–प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– कार्यालय जनपद पंचायत अकलतरा जिला–जांजगीर–चांपा छ0ग0 के पत्र कमांक 5621/पंचा./ज.पं./2023 अकलतरा दिनॉक 30.10.2023 के द्वारा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि श्रीमान् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला–पंचायत जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. के अकास्मिक दौरा के दौरान ग्राम पंचायत कल्याणपुर जनपद पंचायत अकलतरा में मनरेगा योजना अंतर्गत पनपिया तालाब में गाय फसा हुआ था एवं तालाब की पटाई किया गया है। जिसके कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. के द्वारा सूक्ष्म जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा के अपने आदेश कमांक 5568/मनरेगा/पंचा/2023 अकलतरा दिनॉक 16.10.2023 के द्वारा 04 सदस्यीय टीम का गठन कर जांचा प्रतिवेदन मगाई गई। जांच टीम में श्री गिरेन्द्र तिवारी वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जप.पंचा. अकलतरा, श्री सुनील कुमार राव सहा. आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी जन.पंचा. अकलतरा, श्री शशिकांत देवांगन तकनीकी सहायक मनरेगा जन.पंचा. अकलतरा, श्री अंकित तिवारी तकनीकी सहायक मनरेगा जन.पंचा. अकलतरा के द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन दिनॉक 28.10.2023 में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर में वर्ष 2012–13 में मनरेगा के तहत पनपिया/पचपेड़ी तालाब का गहरीकरण का कार्य कर 01 नग पचरी निर्माण का कार्य भी किया गया था कुल लागत 777000.00 (सात लाख सत्हतर हजार रूपये मात्र) उक्त तालाब का क्षेत्रफल 02 एकड़ है। यह तालाब कल्याणपुर से कोटमीसोनार जाने वाले सड़क मार्ग एवं रेल्वे मार्ग दोनो के बीच में स्थित है। पूर्व में 01 गाय की उक्त तालाब में फसकर मृत्यु हो चुकी है। उक्त तालाब को डेढ़ से दो वर्ष पूर्व पाट दिया गया है। राखड़ से पटाई का एरिया लगभग 05 एकड़ है। या अधिक भी हो सकता है। अभिमत में बताया गया कि– पनपिया /पचपेड़ी तलाब में मनरेगा के तहत कार्य हुआ था जो कि शासकीय संपत्ति है। डेढ़ से दो वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत की अनुमति के बगैर किसी के द्वारा उक्त तालाब को राखड़ से पाटने की जानकारी सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक को ना होना संसय की स्थिति उत्पन्न होता है। शासकीय संपत्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिय ग्राम पंचायत कल्याणपुर के सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक जिम्मेदार है इनके उपर अनुशंसात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। शासकीय संपत्ति को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं बलौदा)

Scanned with OKEN Scanner

कल्याणपुर जनपद पंचायत अकलतरा पूर्णतः दोषी है। अतः पंचायत राज अधिनियम के धारा 40 के तहत कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। –प्रकरण दर्ज किया गया ।

– प्रकरण में अनावेदिका सरपंच श्रीमती लता लहरे ग्राम पंचायत कल्याणपुर को आरोप पत्र एवं कारण बताओ सूचना जारी किया गया है

– अनावेदक की ओर से उक्त आरोप पत्र एवं कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि –

1, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला–पंचायत जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. के अकास्मिक दौरा की जानकारी नही है। ग्राम कल्याणपुर जनपद पंचायत अकलतरा में मनरेगा योजना अंतर्गत गहरीकरण किया गया तालाब पनकीया को राखड़ से पटाई किये जाने के कारण उसमें एक गाय फंस गई थी जिसकी जानकारी है। ग्रामवायिों के द्वारा उक्त फंसी हुई गाय को जीवित निकाला गया था। जिसके लिए शासन द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर को जिम्मेदार बताया जा रहा है जो कि उचित नही है।

2, यह कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा प्रस्ताव क. 16 दिनॉक 20.10.2021 को सर्वसम्मति से सचिव, सरपंच एवं उपस्थित पंचों के द्वारा पारित किया गया था कि प्राथमिक शाला कल्याणपुर एव पचपेड़िया भाठा का समतलीकरण राखड़ से कराया जावेगा क्योंकि रेल्वे द्वारा चतुर्थ रेल्वे लाईन निर्माण के समय पचपेड़ी भाठा कल्याणपुर खसरा नं. 779/1 रकबा 17.509 हे. में से लगभग 1 से 1.5 एकड़ भूमि का मुरूम खोदकर ले जाने से वहा उटपटांग खाई निर्मित हो गया था तथा रेल्वे किनारे एवं सड़क किनारे जो कि कल्याणपुर से कोटमीसोनार की ओर जाता है के पास काफी खतरनाक स्थिति बनी हुई थी जिसक कारण उक्त गड्ढा एवं खाई को राखड़ से पाटकर समतलीकरण करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। पनपिया/पचपेड़ी तालाब को पाटे जाने का कोई प्रस्ताव नही था। चूँकि उक्त संबंध में वर्धा पावर प्लांट के माध्यम से राखड़ मंगाकर पचपेड़ी भाठा के उक्त गड्ढ़ो को भरवाया गया था परंतु तालाब को वर्धा पावर प्लांट के राखड़ डम्पिंग कर्मचारियों के द्वारा ग्राम पंचायत कल्याणपुर अथवा सरपंच, सचिव को बिना सूचित किये रातो रात राखड़ डमप कराकर तालाब को पाट दिया गया जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत को तालाब पाटे जाने के एक सप्ताह के बाद हुई क्यों कि उक्त तालाब सरपंच के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में अवस्थित होने से वहां रोज आना जाना संभव नही है। जिस पर सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा दोबारा राखड़ डम्पिंग वाहन आने पर तालाब को पाटे जाने के संबंध में शिकायत किया गया तब वाहन ड्राईवर एवं हेल्पर द्वारा बताया गया कि हमे जैसा हमारे अधिकारियो द्वारा कहा गया वैसा हमने किया है।

3, यह कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क. 16 दिनॉक 20.10.2021 के आधार पर यदि सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर को तालाब पाटने का जिम्मेदार बताया जाता है तो इसके लिए अकेला सरपंच जिम्मेदार नही है बल्कि उक्त प्रस्ताव को लिखने वाली सचिव एवं उपस्थित समस्त पंच, रोजगार सहायक सभी जिम्मेदार है।

4, यह कि सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा अथवा ग्राम पंचायत प्रस्ताव क. 16 दिनॉक 20.10.2021 के अनुसार उक्त पनपिया तालाब को पाटा नही गया है

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं बलौदा)

Scanned with OKEN Scanner

बल्कि वर्धा पावर प्लांट के राखड़ डंपिंग कर्मचारियो/अधिकारियों के द्वारा वर्धा पावर प्लांट में ढेर सारे राखड़ को खपत/खत्म करने के उद्देश्य से हमारे गांव के उक्त तालाब को पाटा गया है।

5, यह कि उक्त पनपिया तालाब खसरा नं. 779/1 रकबा 17.509 हे.मे से क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ हमारे गांव के तालाब को पाटने के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार वर्धा पावर प्लांट के राखड़ डम्पिंग कर्मचारी/ अधिकारीगण है इस संबंध में ग्राम पंचायत कल्याणपुर अथवा सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर निर्दोष है। जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर को बेवजह फसाया जा रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर का उक्त तालाब को राखड़ से पटवाने का कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होने के कारण सरपंच पर लगाया गया आरोप निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

–प्रकरण में अतिरिक्त तहसीलदार अकलतरा के जांच प्रतिवेदन के अनुसार माननीय विधायक श्री राघवेन्द्र सिंह विधायक अकलतरा जिला जांजगीर चांपा का पत्र कमांक /अकलतरा/एमएलए/296 दिनॉक 21.10.2024 के पत्रानुसार ग्राम कल्याणपुर में स्थित पचपेड़िया तालाब को पाटने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में पत्र प्राप्त होने पर हल्का पटवारी को ज्ञापन जारी किया गया था। हल्का पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नं. 779/1 रकबा 17.509 हे. पचपेड़िया तालाब के रूप में दर्ज नही है एवं गिरदावर व अधिकार अभिलेख में तालाब के रूप में दर्ज नही है जो कि पूर्व में उक्त खसरा नं. से गुरूम निकाला गया था जिसके कारण से वहा पर गड्ढ़ा निर्मित हो गया था तथा पूर्व में वहा छोटा सा डबरी स्थित था जिसमें आने जाने वाले राहगीर लोग निस्तारी करते थे एवं समीपस्थ कृषक भी निस्तारी का कार्य करते थे एवं वर्तमान में उक्त स्थान में राखड़ डालकर समतलीकरण किया गया है का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

गाम पंचायत कल्याणपुर के पनपिया/पचपेड़िया तालाब में वर्ष 2012–13 में मनरेगा के तहत तालाब का गहरीकरण का कार्य एवं 01 नग पचरी निर्माण का कार्य भी किया गया था। सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा शासकीय संपत्ति को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया जाना परिलक्षित होता है। अतः उक्त तालाब को सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा प्रारंभिक आदेश पारित दिनॉक से 90 दिवस के भीतर स्वयं के खर्चे से मूल स्वरूप में वापस लाने व छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 106 के अधीन सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुचाने हेतु नुकसान के मूल्य की गणना हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा को ज्ञापन जारी हो जिसे शास्ति के रूप मे ग्राम पंचायत कल्याणपुर से वसूल किया जावेगा का प्रारंभिक आदेश दिनॉक 20.05.2025 को पारित किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेकिदा के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 91 एवं छ.ग. पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण नियम) 1993 के अंतर्गत अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय कलेक्टर जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. के द्वारा अपील प्रकरण कमांक 202406065200074/0601/एपीएल/अ–89(15)/2024–25 पक्षकार श्रीमती लता लहरे सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुर बनाम शासन ग्राम कल्याणपुर में दिनॉक 06.03.2026 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें पंचायत कल्याणपुर के प्रस्ताव

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं बलौदा)

कमांक 16 दिनॉक 20.10.2021 की छायाप्रति तथा मूल पंचायत पंजी में अंकित प्रविष्टयों में अंतर जीर्ण–शीर्ण एवं लेखन शैली में भिन्नता होने का लेख है तथा विस्तृत जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है। अतः जांच दल के प्रतिवेदन के साथ संलग्न ग्राम पंचायत कल्याणपुर के प्रस्ताव कमांक 16 दिनॉक 20.10.2021 की छायाप्रति तथा मूल पंचायत पंजी में अंकित प्रविष्टयों में हुए विभन्नता के संबंध में जांच टीम गठित करते हुए संयुक्त जांच दल के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा को ज्ञापन प्रेषित किया गया।

–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा जिला–जांजगीर–चांपा छ.ग. के द्वारा अपने ज्ञापन कमांक 3490/शिकायत/ज.पं./2026 अकलतरा दिनॉक 22.10.2026 में लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर के पननिया तालाब के संबंध में 02 सदस्यीय जांच टीम गठित कर जांच कराया गया जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत कल्याणपुर जनपद पंचायत अकलतरा की पंचायत प्रस्ताव की छायाप्रति तथा मूल पंचायत पंजी के प्रस्ताव में अंकित प्रविष्टियों का परीक्षण में पाया गया कि मूल पंचायत प्रस्ताव पंजी पेज कमांक 21 दिनॉक 20.10.2021 के प्रस्ताव कमांक 16 में पारित प्रस्ताव में पचपेडिया भाठा समतलीकरण राखड़ से कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें खसरा नं. 779/1 एवं 999/1 दर्ज है। पूर्व में जांच प्रतिवेदन में संलग्न पंचायत प्रस्ताव की छायाप्रति में प्रस्ताव कमांक 16 दिनॉक 20.10.2026 में पचपेडिया भाठा में समतलीकरण राखड़ से कराने के साथ ही पचपेडिया तालाब भी लिखा गया है, जिसमें खसरा 779/1 एवं प्राथमिक शाला कल्याणपुर 999/1 दर्ज है। मूल पंचायत पंजी में राखड़ शब्द पंचायत बैठक की कार्यवाही की कालम नं. 05 (बैठक की कार्यवाही विस्तृत) के अंदर है जबकि जांच प्रतिवेदन में संलग्न ग्राम पंचायत बैठक की छायाप्रति में राखड़ शब्द उक्त कॉलम नं. 05 के बाहर है, मूल पंचायत पंजी जीर्ण–शीर्ण स्थिति एवं पंचायत पंजी में छेड़छानी की गई है ऐसा परिलक्षित होता है ग्राम पंचायत अभिलेखो को सुरक्षित रखने का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव का है अतः उक्त कृत्य के लिए सचिव ग्राम पंचायत कल्याणपुर जिम्मेदार होना प्रतीत होता का प्रतिवेदन दिया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत कल्याण्पुर के तत्कालीन सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया । तत्कालीन सरपंच, सचिव व रोजगार सहायक दिनॉक 05.11.2026 को उपस्थित हुए दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने उपरांत जवाब हेतु समय प्रदान किया गया नियत समय में अनावेदकगण के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया । प्रकरण अवलोकन हेतु नियत किया गया ।

–प्रकरण में संलग्न मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा के प्रतिवेदन, उभयपक्ष का बयान, प्रस्तुत साक्ष्य एवं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर तहसील अकलतरा जिला– जांजगीर चांपा छ.ग. में पनपिया/पचपेड़िया तालाब में वर्ष 2012–13 में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य एवं 01 नग पचरी निर्माण का कार्य किया गया था, जिसे राखड़ से पाट दिया गया है, पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्थित शासकीय परिसंपत्तियो की सुरक्षा

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं खलोदा)

Scanned with OKEN Scanner

सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है किन्तु तत्कालीन सरपंच/सचिव/रोजगार ग्राम पंचायत कल्याणपुर के के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढ़ता पूर्वक नही किया गया जो कि कदाचार की श्रेणी में आता है। साथ ही तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत कल्यापुर के द्वारा पंचायत पंजी में छेड़छाड़ किया जाना पाया गया, अतः ग्राम पंचायत कल्याणपुर के उक्त शासकीय संपत्ति की नुकसान की राशि 7.779 लाख (सात लाख सत्तहत्तर हजार नौ सौ रूपये) को शास्ति के रूप में तत्कालीन सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कल्याणपुर से बराबर –बराबर वसूली किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। पारित आदेशानुसार तत्कालीन सरपंच/सचिव/रोजगार सहायक ग्राम पंचायत कल्याणपुर उक्त वसूली योग्य राशि को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अकलतरा में जमा कर पावती अभिस्वीकृति के साथ इस न्यायालय में नियत दिनॉक ....26/11/2026.. में उपस्थित होवे। वसूली योग्य राशि जमा नही करने की दशा में छ.ग. भू–राजस्व की भॉति वसूल की जावेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
जांजगीर (तहसील अकलतरा एवं बलौदा)

Scanned with OKEN Scanner